प्रेस विज्ञप्ति

23/12/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने दिनांक 22.12.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई एवं दुबई में संचालित व्यापक अवैध डब्बा ट्रेडिंग एवं ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में संलिप्त एक सिंडिकेट के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

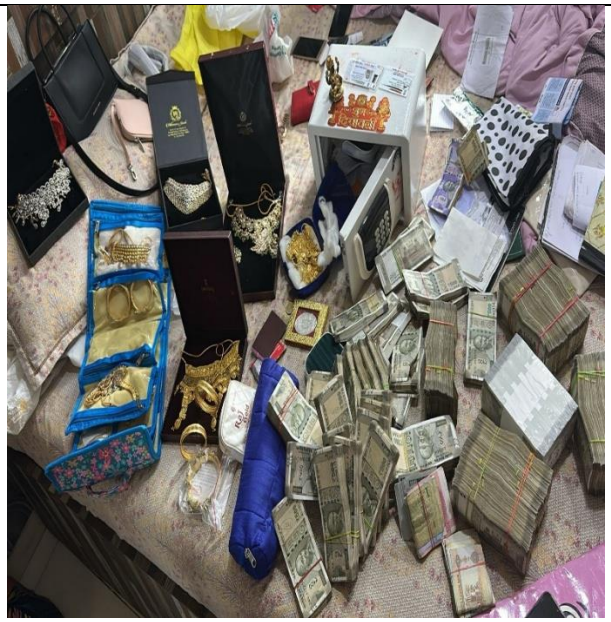
ईडी ने इंदौर पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं 419 एवं 420 के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं 319(2) एवं 318(4) के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की। आगे की जांच में यह उद्घाटित हुआ कि प्राथमिकी संख्या 0136/2021, जो कि प्राथमिकी संख्या 041/2025 से संबद्ध/जुड़े व्यक्तियों से संबंधित एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट से संबंध रखती है, मुंबई स्थित एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 465, 468, 471, महाराष्ट्र जुआ निषेध अधिनियम तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं 66(सी) एवं 66(डी) के अंतर्गत पंजीकृत की गई थी, तथा उक्त प्राथमिकी में पुलिस प्राधिकरणों द्वारा आरोपपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

जांच में यह सामने आया है कि एक तकनीकी रूप से नियंत्रित तंत्र सक्रिय है, जिसमें धांधली वाले ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म, अवैध सट्टेबाज़ी वेबसाइटें और सीमा-पार धन शोधन की व्यवस्था शामिल है। विशाल अग्निहोत्री को मुख्य संचालक के रूप में चिह्नित किया गया है। इसकी सहायता के लिए तरुण श्रीवास्तव, दैनिक वित्तीय संचालन एवं म्यूल खातों का प्रबंधन करता था तथा श्रीनिवासन रामासामी ने झूठे ट्रेडिंग परिणाम उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किए गए हेरफेरयुक्त एमटी5 सर्वरों का विन्यास करता था। आगे, समानांतर सट्टेबाजी नेटवर्क में धवल देवराज जैन ने प्रच्छन्न प्लेटफॉर्म लोटसबुक247(LotusBook247) का संचालन करता था, जबकि धर्मेश राजनिकांत त्रिवेदी ने विदेशी इकाई आई बुल कैपिटल (iBull Capital) का प्रबंधन करता था। निधि चंदनानी दुबई स्थित तंत्रों के माध्यम से धन के अंतरण एवं स्तरीकरण (लेयरिंग) की सुविधा प्रदान करती थी। जांच से यह पुष्टि हुई कि स्टॉक एक्सचेंजों से किसी भी प्रकार के वास्तविक संबंध के बिना ही ग्राहकों को वी मनी (V Money) एवं 8 स्टॉक हाइट (8Stock Height) जैसे प्लेटफॉर्म पर मान्यता प्राप्त कृत्रिम (सिम्युलेटेड) ट्रेड दिखाए जाते थे, जबकि लोटसबुक247 (LotusBook247) एवं 11 स्टार्स(11Starss) जैसे सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म गुमनाम खातों, एन्क्रिप्टेड संचार तथा नकद-आधारित निपटानों के माध्यम से गुप्त संचालन करते थे।

जांच में हेरफेर किए गए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों तथा अनियमित व्हाइट-लेबल अनुप्रयोगों से अर्जित अपराध की आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) की राशि ₹404.46 करोड़ की पहचान की गई है। इस आकलन के अतिरिक्त, जांच के दौरान पीएओ संख्या 24 (सन् 2025) के तहत ₹34.26 करोड़ मूल्य की संपत्तियों का अनंतिम कुर्की की गई। इसमें ₹28.60 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियाँ, ₹3.83 करोड़ मूल्य की चल संपत्तियाँ तथा ₹1.83 करोड़ की राशि बैंक और डिमैट खातों में शामिल है। तलाशी कार्यवाही के दौरान की गई प्रमुख जब्ती में ₹5.21 करोड़ से अधिक नकदी, 59.9 किलोग्राम चाँदी की सिल्ली तथा 100 ग्राम का सोने का बार शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने उच्च मूल्य के विलासिता के सामान भी सुरक्षित किए, जिनमें लगभग ₹1.94 करोड़ मूल्य के आभूषण और ₹4.77 करोड़ मूल्य की लग्ज़री घड़ियाँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ₹0.41 करोड़ से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियाँ भी फ्रीज़ की गई। ये संपत्तियाँ उस अवैध गतिविधियों से अर्जित भौतिक आय का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें सिंडिकेट के सदस्यों ने उत्पन्न किया और अपने पास रखा।

<u>जब्ती एवं कुर्की से संबंधित कुछ चित्र</u>













सार्वजनिक परामर्श

• नागरिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी ट्रेडिंग अथवा निवेश प्लेटफॉर्म सेबी (SEBI) के साथ पंजीकृत हो, क्योंकि अनियमित डब्बा ट्रेडिंग अनुप्रयोग किसी भी प्रकार की वैधानिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं और प्रायः वित्तीय नुकसान का कारण बनते हैं।

• उपयोगकर्ताओं को निजी रूप से नियंत्रित अथवा अप्रमाणित एमटी5 (MT5) सर्वरों पर संचालित प्लेटफॉर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिस्टम सामान्यतः परिणामों में हेरफेर करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं।

• अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटें उपयोगकर्ताओं को कानूनी बाधाओं, व्यक्तिगत एवं वित्तीय डेटा के दुरुपयोग तथा बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के जोखिम में डालती हैं।

• आम जनता को अपने व्यक्तिगत बैंक खातों का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को कभी भी नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि म्यूल खातों का प्रयोग प्रायः अपराध की आय के धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के लिए किया जाता है और खाता धारक धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जाता है।

• किसी भी ऐसे संदिग्ध प्लेटफॉर्म, जो अवास्तविक प्रतिफल का वादा करता हो, केवल एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग अनुप्रयोगों के माध्यम से संचालित होता हो, अथवा अज्ञात या अनधिकृत माध्यमों से जमा राशि की मांग करता हो, की सूचना निकटतम कानून प्रवर्तन एजेंसी अथवा साइबर अपराध प्राधिकरण को अवश्य दी जानी चाहिए।